



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231015
CG-DL-E-11112021-231015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]
No. 70]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

आ.अ. 72(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 09 नवम्बर, 2021 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री सुप्रतिम भट्टाचार्य, सचिव, पश्चिम बंगाल, विधान सभा,	श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल, विधान सभा,

[फा. सं. 100/रा.स.- पश्चिम बंगाल/11/2021(2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

O.N. 72(E).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of West Bengal, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 09th November, 2021: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Shri Supratim Bhattacharya, Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary, West Bengal Legislative Assembly

[F. No. 100/CS-WB/11/2021(2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.